छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर
— — ० — —

:: आदेश ::

अटल नगर, दिनांक 02/07/2019

क्रमांक एफ 1–4/2015/38–1 ::: राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (**अर्थशास्त्र**) के पद हेतु अनुपूरक/प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (**अर्थशास्त्र**) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600–39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/– (सातवें वेतनमान में संशोधित अनुसार) में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :–

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	रीना कुमारी पिता श्री गिरजा शंकर राय, गंगा हास्टल कमरा नं. 115 त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स, बनारस हिन्दी विश्वविद्यालय, वाराणसी, 221005	शासकीय नवीन महाविद्यालय, फरसगांव, जिला– कोण्डागांव	UR
2	श्री रावेन्द्र सिंह पटेल पिता श्री रामहेत सिंह पटेल C/O श्री नंदलाल सिंह ब्लड बैंक, जिला चिकित्सालय सतना,जिला– सतना म.प्र. 485001	शास.वीर गैंदसिह महाविद्यालय, पखांजूर, जिला–कांकेर	UR
3	श्रीमती रीता सिंह पति श्री राजेश सिंह द्वारा सुभाषिनी इन्टरप्राईजेस प्रतापपुर नाका अंबिकापुर सरगुजा छ.ग.497001	शास.महात्मागांधी कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, खरसिया, जिला–रायगढ़	UR
4	आनंद कुमार पैकरा पिता श्री सियानी राम, ग्राम सावांटोली, पो. कुकुरभूका, तह.–पत्थलगांव, जिला–जशपुर छ.ग. 496220	शास.रेवती रमन मिश्र महाविद्यालय, सूरजपुर जिला–सूरजपुर	ST

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण–पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति

.................2

H-21

प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।

6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे–मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।

8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 एवं 2019 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।

9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम–1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।

10. यह नियुक्ति पूर्णतः अंनतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

2/ उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिकाओं(कमांक 591/2012 रिट पिटीशन(सी)कमांक 592/2012 रिट पिटीशन(सी) कमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन(सी) कमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/ निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

3/ प्रमाणित किया जाता हैं कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सरोज उईके)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 1–4 /2015/**38–1** अटल नगर, दिनांक 02/ 07/2019

प्रतिलिपि :–

(1) राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।

(2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, अटल नगर रायपुर।

(3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर रायपुर।

(4) मुख्य सचिव के उप सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, अटल नगर रायपुर।

(5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर

(6) स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर ।

(7) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)।

(8) कलेक्टर, जिला कोण्डागांव/कांकेर/रायगढ़/सूरजपुर (छ.ग.)।

(9) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 620/ 95/ 2010/चयन दिनांक 27.5.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ।

(10) आयुक्त, जनसम्पर्क, रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

(11) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, क्षेत्रीय कार्यालय,...................... (छ.ग.)।

(12) प्राचार्य, ... की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिका–2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें ।

(13) जिला कोषालय अधिकारी, जिला –कोण्डागांव/कांकेर/रायगढ़/सूरजपुर (छ.ग.)।

(14) संबंधित ....कृपया कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत शपथ पत्र की छायाप्रति विभाग को उपलब्ध करावें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(15) आदेश फोल्डर।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग